पत्रांक– 1286 / मु0वि0अ0 / गे0ख0 / 2016–17

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
3. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोऑपरेटिव फेडरेशन लि0, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, वालाकदर रोड, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
10. शाखा प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0), बी–4 एच रोड, महानगर, लखनऊ।
11. शाखा प्रबन्धक, नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेण्ट प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग को–ऑपरेटिव ऑफ इण्डिया लि0 (नैकॉफ), लखनऊ।
12. निदेशक, मण्डी परिषद उ0प्र0, लखनऊ।

एडि0 कमि0 (Law)

कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0
18.03.2016

10074
21-3-2016

दिनांक– 15 मार्च, 2016

विषय–रबी विपणन वर्ष 2016–17 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

JC (V) / प्रस्तुत कार्यवाही

महोदय,

रबी विपणन वर्ष 2016–17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय हेतु समय–सारिणी शासनादेश सं0–3 / 2016 / भा0स0–7 / 29–5–2016–5(1)15 दिनांक 27.01.2016 द्वारा निर्गत की गयी थी। रबी विपणन वर्ष 2016–17 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1525 प्रति कु0 भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2016–17 में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से गेहूँ क्रय सामान्यतः प्रारम्भ होगी। गेहूँ क्रय नीति सम्बन्धी शासनादेश सक्षम स्तर से

21-3-16
AC (V)

3546
21/3/16

JC (V)
30-3-16

10078
21/3/2016

अनुमोदनोपरान्त शीघ्र निर्गत होगा। इस मध्य गेहूँ क्रय भण्डारण, निरीक्षण, अनुश्रवण आदि के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय :–

01– <u>जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति–</u>

जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी नामित किया जायेगा। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को तहसील/परगना हेतु गेहूँ क्रय पर्यवेक्षक नामित किया जायेगा। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर भी ब्लाक क्रय पर्यवेक्षक अधिकारी उपजिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

02– <u>क्रय केन्द्र की स्थापना–</u>

2.1 प्रदेश में 04 कि0मी0 के रेडियस अर्थात् प्रत्येक 08 कि0मी0 की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था होगी, किन्तु भौगोलिक दृष्टि से यथावश्यक परिवर्तन भी जिलाधिकारी कर सकेंगे।

पी0सी0एफ0 एवं यू0पी0एस0एस0 द्वारा पूर्व की भाँति सहकारी समितियों पर केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। सहकारी समितियों की कार्य क्षमता व आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र का चयन किया जायेगा।

2.2 जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में गेहूँ की आवक के दृष्टिगत क्रय संस्था के मध्य क्रय केन्द्रों का स्थल आवंटन स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिले में कार्यरत एजेन्सी द्वारा अपने जिले के अधिकारी/कर्मचारी की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो स्थानीय आवश्यकतानुसार तथा शासन की नीति के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्र किस–किस क्रय एजेन्सी द्वारा कहॉ–कहॉ (क्रय केन्द्र) खोला जाना है, निर्धारित करेंगे। क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी किसान को अपना गेहूँ विक्रय के लिए 08 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

क्रय केन्द्र का निर्धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि 100 मी0टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम एक केन्द्र ही खोला जाये और उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किये जाएं जहॉ गेहूँ की अच्छी आवक होती है और खरीद की अच्छी सम्भावना हो। गेहूँ खरीद के लिए प्रदेश में कार्यरत समस्त क्रय संस्थाओं के कुल 4500 क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उपमण्डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब मुख्य मार्ग के समीप के स्थल आदि को प्राथमिकता दी जायेगी, ताकि गेहूँ विक्रेता कृषक गेहूँ लेकर सरलता से पहुँच सकें व क्रय केन्द्र की जानकारी भी गेहूँ विक्रेता कृषकों को सुगमता से मिल सके।

2.3 जिलाधिकारियों द्वारा एक बार गेहूँ क्रय केन्द्रों का निर्धारण करने के पश्चात् जनपद में अतिरिक्त गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जाने या क्रय अवधि के पूर्व क्रय केन्द्र को बन्द किये जाने की आवश्यकता पाये जाने पर औचित्य का परीक्षण कर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति निर्णय लेगी, जिसके सदस्य जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्बन्धित क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे।

2.4 क्रय केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जायेगाः–

i. एक केन्द्र प्रभारी के पास एक से अधिक क्रय केन्द्र का प्रभार न हो।
ii. क्रय केन्द्र की स्थापना यथासम्भव सार्वजनिक स्थल तथा मुख्य सड़क मार्ग पर की जायेगी।
iii. गेहूँ खरीद हेतु अनुबन्धित सहकारी समितियों की कार्य क्षमता व उनकी स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा समितियों के केन्द्र स्थल चिन्हित किये जायेंगे।

3– <u>क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखावः–</u>

3.1 सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ क्रय सम्बन्धी निम्नलिखित अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर छपवाकर रखे जायेंगेः–

i. क्रय तकपट्टी
ii. क्रय पंजिका
iii. बोरा रजिस्टर
iv. स्टाक रजिस्टर
v. बिल बुक
vi. निर्गत चेकों का विवरण पत्र
vii. टी0सी0डी0सी0 स्लिप
viii. बैंक लेखा पंजी
ix. निरीक्षण पंजिका
x. शिकायत पंजिका
xi. क्रय किये गये गेहूँ को सम्बन्धित भा0खा0नि0 डिपो को प्रेषित करने सम्बन्धी पंजिका
xii. परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश
xiii. हैण्डलिंग ठेकेदार की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश
xiv. गेहूँ रिजेक्शन रजिस्टर
xv. आर0टी0जी0एस0 द्वारा भुगतान कर मिलान रजिस्टर

3.2 किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में गेहूँ विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

3.3 मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर सम्बन्धित किसानों, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता उच्चाधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।

3.4 कृषकों की सुविधा की दृष्टि से गेहूँ क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनायें प्रदर्शित की जायेंगी :—

i. गेहूँ का समर्थन मूल्य
ii. शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर—18001800150
iii. क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर
iv. गुणवत्ता के मानक
v. सम्बन्धित बैंक का नाम जहाँ से भुगतान होना है
vi. उतराई सफाई की दरें
vii. प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन

एकरूपता की दृष्टि से सभी केन्द्रों के लिए खाद्यायुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बैनर सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के मुख्यालय द्वारा तैयार कराया जायेगा।

4— <u>गेहूँ के बोरों की भराई, सिलाई एवं स्टैन्सिलिंग :—</u>

4.1 क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की प्रति बोरा 50 किग्रा की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी। बोरों की सिलाई मशीन से अनिवार्य है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मशीन की सिलाई के उपरान्त ही गेहूँ से भरे बोरों का सम्प्रदान किया जायेगा।

4.2 प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, वजन, क्रय केन्द्र एवं क्रय संस्था का नाम हैण्डलिंग ठेकेदार से कराने का उत्तरदायित्व क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा।

4.3 बोरों पर भारत सरकार के पत्र सं0—15(1)/2012—पी0वाई0—।।।/318639 दिनांक 06.11.2015 द्वारा निर्धारित नीले रंग की कलर कोडिंग की जायेगी। साथ ही पूर्व वर्षों के अप्रयुक्त नये बोरों को रबी विपणन वर्ष 2016—17 में प्रयुक्त करने पर "आर0एम0एस0 2016—17 बैग्स" पर नीले रंग से मार्का लगाया जायेगा। स्टेन्सिलिंग में कोड के माध्यम से क्रय केन्द्रों का चिन्हांकन किया जायेगा। गेहूँ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद, क्रय संस्था एवं क्रय केन्द्र को एक कोड नम्बर आवंटित किया जायेगा। कोड नम्बर अंकित करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा—निर्देश इस कार्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4.4 यदि किसी बोरे पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर नहीं होगा तो भण्डारण डिपो पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित क्रय एजेन्सी को तत्काल लिखित रूप में दी जायेगी। यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर खरीदे जाने वाले गेहूँ से भरे बोरों पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर की स्टेन्सिल अवश्य अंकित हो, जिससे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित खाद्यान्न की किसी भी स्थिति में रिसाइकिलिंग की कोई सम्भावना न रहे।

4.5 गेहूँ की उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग न करने पर क्रय संस्थाओं द्वारा विभागीय हैण्डलिंग ठेकेदार से यथास्थिति तथा गुणवत्ता के मद में क्रय संस्थाओ से निम्नानुसार कटौती की जायेगीः–

क्र0	विवरण	कटौती की दर
1	खराब सिलाई	रू0 1.00 प्रति बोरा
2	स्टेन्सिलिंग खराब करना	रू0 1.00 प्रति बोरा

5– **क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो का निरीक्षण :–**

5.1 समस्त क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह केन्द्रों का सप्ताह में न्यूनतम एक बार निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, वहां पर गेहूँ खरीद हेतु अपेक्षित सुविधाएँ हैं तथा कृषकों से ही गेहूँ की खरीद नियमानुसार की जा रही है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कि क्रय केन्द्रों पर अनधिकृत कटौती अथवा घटतौली तो नहीं की जा रही है।

5.2 जिलाधिकारी अपने स्तर से क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करायेंगे तथा विभिन्न अधिकारियों के मध्य निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित करेंगे।

5.3 पी0सी0एफ0 व यू0पी0एस0एस0 क्रय संस्थाओं के क्रय केन्द्रों की भारी संख्या के दृष्टिगत सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां एवं सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण में लगाया जाये। मण्डल स्तर पर संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, पी0सी0एफ0 व यू0पी0एस0एस0 के केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा इनकी खरीद का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

5.4 जिलाधिकारी भण्डारण डिपो का भी समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराएंगे एवं सुनिश्चित करायेंगे कि डिपो पर गेहूँ का सुगमतापूर्वक उतार हो, ट्रकों की लम्बी–लम्बी लाइने न लगने पाये, श्रमिकों की समस्या उत्पन्न न हो, गेहूँ के पावती प्रपत्र समय से निर्गत किये जायें तथा गेहूँ उतार की दैनिक सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से क्रय एजेन्सियों के जनपदीय अधिकारियों को दी जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का ईमेल, पता व फोन नम्बर तथा टोल फ्री नम्बर को भी डिपो पर प्रदर्शित किया जाये।

5.5 गेहूँ क्रय के सापेक्ष भण्डारण डिपो पर गेहूँ का उतार भी तेजी से हो इस निमित्त डिपो पर समुचित संख्या में तकनीकी व डिपो स्टाफ की तैनाती व श्रमिकों की प्रर्याप्त उपलब्धता भा0खा0नि0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

5.6 क्रय एजेन्सियों के गेहूँ के बिलों का भुगतान शीघ्र हो, इस निमित्त भा0खा0नि0 अपने भुगतान कार्यालय में पर्याप्त सी0सी0 लिमिट की व्यवस्था

करेगी तथा पारदर्शिता हेतु भुगतान हेतु प्राप्त बिलों पर टोकन देगी व क्रमानुसार ही बिलों का भुगतान करेगी। प्राप्त बिल, किया गया भुगतान एवं लम्बित बिलों की दैनिक सूचना सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों व जिला खरीद अधिकारी को भी दी जायेगी।

5.7 भा0खा0नि0 डिपो पर ट्रकों की लम्बी–लम्बी लाइने न लगने पाये, इस निमित्त डिपो की उतार क्षमता के दृष्टिगत जिला खाद्य विपणन अधिकारी एजेन्सीवार गेहूँ उतार हेतु रोस्टर भा0खा0नि0 से परामर्श कर तैयार करेंगे।

5.8 जनपद में कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी व खाद्य विभाग के ब्लाक/जनपद व मण्डल स्तर के अधिकारी तथा सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव जिम्मेदार होंगे।

5.9 क्रय केन्द्रों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से गेहूँ क्रय सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु क्रय संस्था के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम निरीक्षण निम्नवत् किये जायंगे।

i. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक – 02 केन्द्र प्रतिदिन।

ii. सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/ संयुक्त निबन्धक (सहकारी समितियाँ)/ क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारी – 03 केन्द्र प्रतिदिन।

iii. जि0खा0वि0अ0/जिला निबन्धक (सहकारी समितियाँ) क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी। – 05 केन्द्र प्रतिदिन।

iv. सं0खा0नि0/सं0खा0वि0अ0 सम्भाग हेतु, जि0खा0वि0अ0 जनपद हेतु व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक अपने ब्लाक हेतु गेहूँ क्रय के निमित्त नोडल अधिकारी होंगे।

6– <u>गेहूँ क्रय का अनुश्रवणः–</u>

6.1 जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी जिसमें क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ क्रय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। साथ ही साथ क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

6.2 खरीद नियंत्रण प्रकोष्ठ कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा।

6.3 मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा पाक्षिक रूप से एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक रूप से गेहूँ खरीद की समीक्षा की जायेगी, जिसमें क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारी भी

उपस्थित होंगे। इस समीक्षा बैठक में गेहूँ खरीद की प्रगति एवं उत्पन्न क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

6.4 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा क्रय संस्थाओं के मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद की नियमित समीक्षा एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय की समुचित व्यवस्था के अनुश्रवण के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को गेहूँ विक्रय के उपरान्त गेहूँ के मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त हो रहा है।

6.5 यदि किसी क्रय केन्द्र पर बिचौलियों या व्यापारियों से गेहूँ की खरीद करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु निर्गत गेहूँ का दुरूपयोग कर गेहूँ की खरीद करने तथा केन्द्र पर खाली बोरों के दुरूपयोग आदि का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी क्रय केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6.6 प्रदेश स्तर पर गेहूँ खरीद का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण खाद्य तथा रसद विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा :–

क्र0	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1	श्री शशि भूषण लाल सुशील विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।	कार्यालय– 0522–2238526
2	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।	कार्यालय– 0522–2286050 मो0– 9415516023

वह जनपदों से कृषकों की प्राप्त शिकायतों का जिलाधिकारी से समन्वय कर निस्तारण कराएंगे।

7– <u>खाद्य नियंत्रण कक्षः–</u>

7.1 गेहूँ खरीद प्रगति के नियमित अनुश्रवण हेतु खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ में स्थापित है, जो प्राप्तः 9:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक खुला रहेगा। गेहूँ खरीद से सम्बन्धित संस्थावार तथा जनपदवार सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष को जिला खरीद अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से ई–मेल/फैक्स आदि के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रत्येक जनपद में प्रतिदिन लोड की जायेगी।

7.2 प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा गेहूँ खरीद प्रगति की संस्थावार सूचना शासन को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी। सभी संस्थायें व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक निर्धारित प्रारूप पर खरीद, भारतीय

खाद्य निगम को डिलीवरी, एक्नॉलेजमेण्ट, बिलिंग, भुगतान व अवशेष भुगतान की दैनिक सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः प्रतिदिन 12:00 बजे तक फैक्स/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

7.3 खाद्य आयुक्त, नियंत्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नं0–0522–2286906 है तथा विभागीय वेबसाइट www.fcs.up.nic.in है। गेहूँ क्रय से सम्बन्धित शिकायतें/सुझाव टोल फ्री नं0– 18001800150 पर भी दर्ज करायी जायेंगी।

8– **<u>गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में समीक्षा बैठकः–</u>**

8.1 गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार समीक्षा बैठक की जायेगी, जिसमें भा0खा0नि0 के प्रतिनिधि सहित समस्त क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारी तथा कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगाः–

मण्डलायुक्त	पाक्षिक
जिलाधिकारी	साप्ताहिक
जिला खरीद अधिकारी	दैनिक

8.2 समीक्षा बैठकों में गेहूँ खरीद की योजना के कार्यान्वयन के साथ–साथ कृषकों को भुगतान, गेहूँ का केन्द्रीय पूल में भण्डारण गेहूँ की बिलिंग तथा बिलिंग के सापेक्ष भारतीय खाद्य नियम द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं को भुगतान आदि का अनुश्रवण भी किया जायेगा।

9– **<u>पुरस्कार/मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्थाः–</u>**

प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप गेहूँ क्रय में महत्वपूर्ण योगदान देने अथवा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत या उससे अधिक गेहूँ की खरीद करने पर शासन की अनुमति से क्रय संस्थाओं/शासन तथा विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों को "लेखा शीर्षक–4408–खाद्य भण्डारण और भण्डारागार पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनेत्तर–01– खाद्य–101 खरीद और पूर्ति–03–अन्न पूर्ति योजनाएं–31 सामग्री तथा सम्पूर्ति" के मद से पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यदि गेहूँ खरीद में किसी क्रय संस्था/अधिकारी /कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता बरती जाती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित करने हेतु सभी क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(अजय चौहान)
आयुक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद अनु0–05, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग।

4– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5– आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

6– निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

7– आयुक्त, व्यापार कर, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9– वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

10– नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ।

11– निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 लखनऊ।

12– कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

13– समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

14– समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

15– प्रभारी खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।

16– खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

17– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

(अजय चौहान)
आयुक्त।

D:\Wheat\Wheat_letter.doc